न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 96/2020(2020/22)

1.हंसराज पुत्र श्री बालू जाति गूजर निवासी सूरीमाता तहसील केकडी
2.रामकुंवार पुत्र श्री सुगना जाति गूजर
3.सोजीराम पुत्र श्री कालूराम गूजर
4.रतनलाल पुत्र श्री मांगीलाल
5.घीसालाल पुत्र श्री किशन
6.गंगाराम पुत्र श्री सेवाराम
7.लालाराम पुत्र श्री सेवाराम
8.हीरालाल पुत्र श्री कालूराम
समस्त जाति गूजर निवासीगण चौसला कोलोनी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2.जयशंकर पुत्र श्री हीरालाल जाति गूजर निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज लैण्ड रेवेन्यु एक्ट वास्ते स्थायी पत्थरगढ़ी (सीमाकंन)बाबत्

उपस्थितः– श्री हेमराज कानावत–वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार–तहसीलदार केकड़ी –अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12·7·21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट वास्ते स्थायी पत्थरगढ़ी (सीमाकंन)बाबत् के तहत पेश किया है कि ग्राम मेवदाकलां की जमाबंदी संवत् 2069–72के खाता संख्या नया–पुराना 1023–926 खसरा नंबर 412/3739 रकबा 1.2900 है0 जो प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित उक्त आराजी को प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2000 को खातेदार मदन पुत्र गोरधन जाति ब्राहमण निवासी मेवदाकलां से खरीद कर कब्जा स्वामित्व,उपयोग उपभोग प्राप्त किया है। प्रार्थीगण के नाम मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नामान्तरकरण संख्या 448 दिनांक 20.03.2001 को स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार अंकन हो रखा है। वर्तमान मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा है तथा प्रार्थीगण ने काश्त करी है। लेकिन आराजी का रकबा मौके पर कम हो रखा है। वादीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को बिना किसी अधिकार के बाड़ा वगैराह बनाकर दबा रखी है तथा अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 15.06.2018 तथा 15.10.2020 से ही प्रार्थीगण से झगड़ा फिसाद करने पर आमादा हो रहा है। पत्थरगढ़ी करवाने से मना कर रहा है। पत्थरगढ़ी के अभाव मे प्रार्थीगण को खरीदशुदा आराजी के सम्पूर्ण रकबा से वंचित होना पड़ रहा है एवं आराजी का सही उपयोग नहीं होने से काश्त करने मे अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित हो गया है। जिससे प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का [illegible] अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थीगण की खरीदशुदा आराजी पर अवैध बाड़ा बनाकर दबा लेने [illegible] तारीख 15.06.2018 एवं दिनांक 15.10.2020 से प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फिसाद करने पर आमादा होने [illegible] उत्पन्न हुआ एवं दिन–प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थना पत्र को सुनने का [illegible] तथा प्रार्थना [illegible] अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] पत्र मे वर्णित आ[illegible] खसरा नंबर 412/3739 रकबा 1.29 हैक्टर की निशानदेही कर स्थाई पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 जयशंकर पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 08/2021 (21/22)
महावीर वनाम राजस्थान सरकार
प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 राज.लैण्ड
रेवेन्यु एक्ट वास्ते स्थायी पत्थरगढ़ी(सीमाकंन बाबत्)
आदेश दिनांक 12-7-21

मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र मे बताया कि उसे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथन स्वीकार है स्थायी पत्थरगढ़ी नहीं होने से आये दिन विवाद की संभावना रहती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने की कृपा करावे। अप्रार्थी संख्या –01 पैरोकार सरकार ने आदेशिका पर यह अंकित किया कि " पत्थरगढ़ी आदेश से सरकार को आपत्ति नहीं है " जवाब प्राप्त होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के लायक अभिभाषक ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। अप्रार्थी– पैरोकार सरकार को भी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। पैरोकार सरकार ने आदेशिका पर यह अंकित किया कि " पत्थरगढ़ी आदेश से सरकार को आपत्ति नहीं है "

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राम मेवदाकलां की जमाबंदी संवत् 2069–72 कें खाता संख्या नया–पुराना 1023–926 मे अंकित खसरा नंबर 412/3739 रकबा 1.2900 है0 बारानी 3 की पत्थरगढ़ी किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी,प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर दक्ष कार्मिको की टीम बनायी जाकर ग्राम मेवदाकलां की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी जमाबंदी संवत् 2069–72 कें खाता संख्या नया–पुराना 1023–926 मे अंकित खसरा नंबर 412/3739 रकबा 1.2900 है0 बारानी 3 जो प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है,की पत्थरगढ़ी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.29 12:58:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner